

न  
ग



बड़डा के  
न पर  
फाटने का  
रहा है।  
रवाई कर

ध्ययनरत  
रण के  
नजातीय  
ने वाले

प्रकाश व्यवस्था की मांग  
शहडोल शहर के बड़ी भीट, पटेल  
नगर निवासी राजू तिवारी,  
संजय पांडे, आलोक मिश्रा,  
संदीप पांडे सहित अन्य  
वार्डवासियों ने बड़ी भीट में  
स्ट्रीट लाइट एवं सड़क बनवाने  
का आवेदन संयुक्त आयुक्त  
मगन कनेश को दिया।

दैनिक भास्कर

HELPLINE

आपकी हर खुशी में होते हैं खुश वो भी, जो है तो अपने पर अब साथ नहीं हैं अपने

SKJ

Shree Krishna Jewellers

THE SYMBOL OF PURITY & TRUST

SINCE 1970

9174811811

New Gandhi Chowk, Shahdol

इस पितृपक्ष कीजिये अपने  
पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ  
सोने, चाँदी व हीरे से बने  
आभूषणों की खरीदारी



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस  
ई-नीलामी दि. 19/10/2024

क्षेत्रीय कार्यालय- बुढ़ार रोड,  
शहडोल, मध्य प्रदेश

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के पंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का मौक्तिक कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	संबंधित शाखा	ऋण खाता / ऋणी / प्रत्याभूति-दाता / जमानतदार	मांग / बकाया राशि	साप्ताहिक अचल संपत्तियों का विवरण / कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य अग्रिम धरोहर जमा राशि बिड मुद्दि राशि
1	विरसिंहपुर पाली उमरिया मो.ब.नं.- 93031 08362	(1) मनोज कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा (मूल उधारकर्ता) पता: वार्ड क्र. 7, कुमारहन मोहल्ला, एलआईसी ऑफिस एवं किरण टॉकीज के पास, विरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551 (2) श्री अजय कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा (मूल उधारकर्ता) पता: (1) वार्ड क्र. 7, कुमारहन मोहल्ला, एलआईसी ऑफिस एवं किरण टॉकीज के पास, विरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551 पता: (2) बी/1925 गली माता वाली घीराखना चौदनी चौक, दिल्ली, जीपीओ नॉर्थ दिल्ली- 110006 (3) श्री विपिन कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा (मूल उधारकर्ता) पता: वार्ड क्र. 7, कुमारहन मोहल्ला, एलआईसी ऑफिस एवं किरण टॉकीज के पास, विरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551 (4) श्री अमय नारायण तिवारी पिता श्री आर.आर. तिवारी (गारंटीदाता) पता: पेट्रोल पम्प के पीछे, पाली प्रोजेक्ट विरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551 (5) श्री महेंद्र पाठक पिता श्री के.के. पाठक (गारंटीदाता), पता: वार्ड 9, मंगार रोड, विरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551	रु. 24,95,370/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति:- खसरा क्र. 779/1, वार्ड क्र. 07, एलआईसी एवं संगीता टॉकीज के पास, विरसिंहपुर पाली उमरिया (म.प्र.)- 484551 का कुल रकबा 2875.00 वर्गफुट, मू-स्वामी/ बंधककर्ता- (1) श्री मनोज कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा, (2) श्री अजय कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा, (3) श्री विपिन कुमार शर्मा पिता स्व. राम किशन शर्मा। चतुर्सीमा: उत्तर- रास्ता, दक्षिण- गल्ला कुंभार की भूमि, पूर्व- रामचन्द्र गुप्ता की भूमि, पश्चिम- रामसखी की भूमि, क्षेत्रफल: 2875.00 वर्गफुट/ उस पर निर्मित भवन/इकाई/ चैतिक कब्जा	रु. 42,50,000/- रु. 4,25,000/- रु. 1,00,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के बारे में के लिए कृपया नीचे दिये गये प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता PSB Alliance के वेबपोर्टल <http://ebkay.in> पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 91-8291220220, शाखा:- विरसिंहपुर पाली (मो. 91-9303108362) या प्राधिकृत अधिकारी श्री राम कान्त मिश्रा (मो. 91-9693096247) या क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (ई मेल- [recvshahro@centralbank.co.in](mailto:recvshahro@centralbank.co.in)) से सभी कार्यदिवसों में कार्यवाहि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। शीर्षक दस्तावेजों/ दूसरे दस्तावेजों/ संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु: संबंधित शाखा- विरसिंहपुर पाली से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यवाहि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण संबंधित शाखा से संपर्क कर दिनांक 07/10/2024 से 08/10/2024 को कर सकते हैं। उपरोक्त संबंधित सभी ऋणियों / प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरपेक्सी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन पंद्रह (15) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक: 03/10/2024, स्थान: शहडोल (म.प्र.)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी





**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
Central Bank of India

**अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस**  
ई-नीलामी दि. 19/10/2024

क्षेत्रीय कार्यालय-बुधवार रोड,  
शाहडोल, मध्य प्रदेश

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है वहाँ है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	संबंधित शाखा	अचल संपत्ति / प्रत्याभूति-दाता / जमानतदार	मांग / बकाया राशि	सापेक्ष अचल संपत्तियों का विवरण / कब्जे का प्रकार	आवृत्त मूल्य अधिक बटोर जमा राशि बिड बुद्धि राशि
1	बिरसिंहपुर पाली उमरिया मोब.नं.- 93031 08362	(1) मनोज कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा (मूल उधारकर्ता) पता: वार्ड क्र. 7, कुमारहन मोहल्ला, एलआईसी ऑफिस एवं किरण टॉकीज के पास, बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551 (2) श्री अजय कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा (मूल उधारकर्ता) पता: (1) वार्ड क्र. 7, कुमारहन मोहल्ला, एलआईसी ऑफिस एवं किरण टॉकीज के पास, बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551 पता: (2) बी/1925 गली माता वाली चौराखना चौदनी चौक, दिल्ली, जीपीओ नॉर्थ दिल्ली- 110006 (3) श्री विपिन कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा (मूल उधारकर्ता) पता: वार्ड क्र. 7, कुमारहन मोहल्ला, एलआईसी ऑफिस एवं किरण टॉकीज के पास, बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551 (4) श्री अभय नारायण तिवारी पिता श्री आर.आर. तिवारी (गारंटीदाता) पता: पेट्रोल पम्प के पीछे, पाली प्रोजेक्ट बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551 (5) श्री महेंद्र पाठक पिता श्री के.के. पाठक (गारंटीदाता), पता: वार्ड 9, मंगठार रोड, बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551	रु. 24,95,370/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति:- खसरा क्र. 779/1, वार्ड क्र. 07, एलआईसी एवं संगीता टॉकीज के पास, बिरसिंहपुर पाली उमरिया (म.प्र.)- 484551 का कुल रकबा 2875.00 वर्गफुट, पुरानी/ बंधककर्ता- (1) श्री मनोज कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा, (2) श्री अजय कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा, (3) श्री विपिन कुमार शर्मा पिता स्व. राम किशन शर्मा। घनसूचीमा: उत्तर- रास्ता, दक्षिण- गल्ला कुंभार की भूमि, पूर्व- रामचन्द्र गुप्ता की भूमि, पश्चिम- रामसखी की भूमि, क्षेत्रफल: 2875.00 वर्गफुट/ उस पर निर्मित भवन/इकाई/ भौतिक कब्जा	रु. 42,50,000/- रु. 4,25,000/- रु. 1,00,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के व्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गये प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) देखें या ई-अनुबंधित सेवा प्रदाता PSB Alliance के वेबपोर्टल <http://ebkraj.in> पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेलपलाइन नंबर 91-8291220220, शाखा:- बिरसिंहपुर पाली (मोब. 91-9303108362) या प्राधिकृत अधिकारी श्री रामा कान्त मिश्रा (मोब. 91-9893098247) या क्षेत्रीय कार्यालय शाहडोल (ई-मेल- [recvshahro@centralbank.co.in](mailto:recvshahro@centralbank.co.in)) से सभी कार्यवाहियों में कार्यवाहि के दौरान संपर्क कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेजों/ दूसरे दस्तावेजों/ संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु: संबंधित शाखा- बिरसिंहपुर पाली से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यवाहि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता सम्पत्ति का निरीक्षण संबंधित शाखा से संपर्क कर दिनांक 07/10/2024 से 08/10/2024 को कर सकते हैं। उपरोक्त संबंधित सभी श्रमिकों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सतर्कता अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन पंद्रह (15) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक: 03/10/2024, स्थान: शाहडोल (म.प्र.)

कुते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

हर्त पं.  
नुसार  
कर

जकर

नट से  
क।